



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कर्मांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)

Email- gguregistrar@gmail.com Web Site - www.ggu.ac.in,

Ph. No. 07752-260209, fax No. 07752-260148,154

कर्मोंक 1.58./सू.प्र./2022

बिलासपुर, दिनांक: 11-10-2022

आदेश

विभिन्न शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्षों/विभागीय अधिकारियों के प्रभार परिवर्तन/स्थानांतरण के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार निम्नानुसार होंगे:-

क्र.	प्रथम अपीलीय अधिकारी	विभाग/अनुभाग
1	वित्ताधिकारी	वित्त एवं आंतरिक अंकेक्षण अनुभाग
2	परीक्षा नियंत्रक	परीक्षा, गोपनीय एवं अकादमी अनुभाग
3	मुख्य छात्रावास अधीक्षक	बालिका एवं बालक छात्रावास
4	कुलसचिव	शेष समस्त विभाग/ अनुभाग

इसके अतिरिक्त यदि वांछित सूचना किसी विशेष समिति अथवा नोडल अधिकारी के कार्यक्षेत्र की हो तो जिस विभाग/अनुभाग द्वारा उक्त समिति का गठन/नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई होगी वे विभाग/अनुभाग संबंधित समिति/नोडल अधिकारी से वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.कर्मोंक 1.59./सू.प्र./2022

बिलासपुर, दिनांक: 11-10-2022

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा, केन्द्रीय सूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाइट प्रकोष्ठ की ओर सूचनार्थ एवं वेबसाइट में प्रदर्शित करने के अनुरोध सहित प्रेषित।
5. कार्यालय प्रति/निजी नस्ती।

प्रभारी अधिकारी (सूचना प्रकोष्ठ)